अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 29–46/2012 अपीलार्थी – मनोरमा सिंह बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1619–1/प्रो0 दिनांक 29.09.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि सी0डी0पी0ओ0 महिषी द्वारा दिनांक 12.09.2012 को आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 59 धनौज केन्द्र, पंचायत – राजनपुर का निरीक्षण किया गया, केन्द्र बंद पाया गया। जबकि दिनांक 09.09.2012 से दिनांक 13.09.2012 तक राजकीय पल्स पोलियों कार्यक्रम निर्धारित था पोषक क्षेत्र के लाभुकों ने दुरभाष पर उच्चाधिकारी (डी0पी0ओ0) को सूचना यह दे दिया कि सेविका मनोरमा सिंह कभी भी केन्द्र पर नहीं आती है, जिसके कारण पोषक क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अपने –अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाने से इंकार कर दिये है। डी0पी0ओ0 के निर्देश पर सी0डी0पी0ओ0 दिनांक 12.09.2012 को केन्द्र का निरीक्षण करने आई थी तथा केन्द्र को बंद पाया गया। जनहित में तात्कलिक प्रभाव से प्रश्नगत केन्द्र की सेविका श्रीमती मनोरमा सिंह के चयन विभागीय ज्ञापांक 1463–1 दिनांक 11.	

09.2012 से चयन मुक्त कर दिया गया।

आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितताऐं के संबंध में सेविका से अपना स्पष्टीकरण देने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने ज्ञापांक 1463–1 दिनांक 11.09.2012 से स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसमें उन्हें दिनांक 15.09.2012 को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 17.09.2012 को सुनवाई की गई । सुनवाई के कम में सी0डी0पी0ओ0 महिषी स्मिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका , आँगनबाड़ी सेविका मनोरमा सिंह उपस्थित हुई एवं अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया सुनवाई के पश्चात् जनहित में तत्कालिक प्रभाव से सेविका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1619–1 दिनांक 29.09.2012 से पुनः चयन मुक्त कर आदेश निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया, एवं अपना–अपना पक्ष, कागजात, सबूत न्यायालय के समक्ष पेश किया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उक्त अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1463–1 दिनांक 11.09.2012 एवं पुनः निम्न न्यायालय वाद सं0–57/2012–13 को पारित आदेश ज्ञापांक 1619–1/प्रो0 दिनांक 29.09.2012 से चयन मुक्त किये जाने के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना कार्यालय महिषी के ग्राम पंचायत राजनपुर केन्द्र सं0– 59 पर अपीलार्थी सेविका का चयन किया गया, तब से लेकर चयन मुक्ति आदेश पारित होने तक अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र संचालन में कोई शिकायत पोषक क्षेत्र के लाभुक वर्ग ने कभी नहीं किया । यह महज दिनांक 09.09.2012 से 13.09.2012 तक राजकीय पल्स पोलियो कार्य कम के दौरान स्थानीय सिर –फिरे/असामाजिक तत्व द्वारा जो पूर्व में भी अपीलार्थी से केन्द्र संचालन के ऐवज में रंगदारी की मांग समय–समय पर किया करते थे तथा, जिसकी सूचना अपीलार्थी द्वारा कार्यलय को अनेको बार दिया गया था, उन लोगो ने ही गलत एवं भ्रामक रूप से दुरभाष पर सूचना दिया और लोगो को भड़का कर पोलियो ड्रॉप अपने बच्चों को पिलाने से मना करवा दिया , और इस जिद्द पर आ गए कि जब तक सेविका को चयन मुक्त नहीं किया जायेगा तब तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलायेंगे तथा इस प्रभाव में आकर डी0पी0ओ0 सहरसा ने सेविका को (अपीलार्थी) विभागीय ज्ञापांक 1463–1/प्रो0 दिनांक 11.

09.2012 से ही चयन मुक्त कर दिया गया तथा चयन मुक्ति के बाद की तिथि में स्पष्टीकरण पूछा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि किस प्रकार अपीलार्थी सेविका को वगैर स्पष्टीकरण का मौका दिए बिना व (सेविका) पक्ष सुने बिना ही, कुछ असमाजिक तत्वों के प्रभाव में आकर तत्काल चयन मुक्त कर दिया गया जो विभागीय मार्गदर्शिका का स्पष्ट उल्लंघन है, त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यहाँ यह भी बताया कि डी0पी0ओ0 सहरसा द्वारा अपीलार्थी को विभागीय ज्ञापांक 1463–1 /प्रो0 दिनांक 11.09.2012 से चयन मुक्त कर दिया गया तो पुनः डी0पी0ओ0 ने वाद सं0– 57/2012–13 दर्ज कर स्पष्टीकरण की माँग करना क्या पुनः वैधानिक दिखता है क्या? एवं पुनः उसी वाद सं0– में अन्य मनगढ़त आरोप लगाकर पारित आदेश ज्ञापांक 1619–1 दिनांक 29.09.2012 से चयन मुक्ति आदेश पारित किया गया जो सर्वथा नियम एवं मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि कोई ऐसा प्राावधान नहीं है कि पहले चयन मुक्त आदेश पारित कर पुनः वाद की प्रकिया आरंभ किया जाय, यानी एक ही मुर्गी को दो–दो बार हलाल किया जाय।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यहाँ बताया कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र की बनावट ही ऐसी है कि केन्द्र कोशी धारा के अंदर है जहाँ चारों तरफ से नदी है , तथा सेविका का घर भी नदी के दुसरे पार में है , यहाँ आने–जाने में थोड़ी कठिनाई होती है, फिर भी अपीलार्थी सेविका ससमय केन्द्र का संचालन करती आ रही है कभी कोई शिकायत लाभुक वर्ग के लोगों से नहीं किया है महज स्थानीय गंदी राजनीति के तहत अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2012 की तिथि से चयन मुक्त करा दिया गया पुनः वाद संख्या 57/2012–13 दर्ज कर मनगढ़त आरोप के आधार पर दिनांक 29.09.2012 की तिथि को चयन मुक्त आदेश पारित किया गया अतः यह दोनों आदेश त्रुटिपूर्ण, गलत प्रतीत होता है जो विखंडित करने योग्य है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जिस सी0डी0पी0ओ0 महिषी के पत्रांक 22 दिनांक 14.01.2012 के जाँच प्रतिवेदन को चयन मुक्त का आधार बनाया गया उसके संबंध में सेविका (अपीलार्थी) से कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया इससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय का आदेश दोषपूर्ण है एवं त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अपीलार्थी सेविका मनोरमा सिंह का चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1463–1/प्रो0 दिनांक 11.09.2012 पूर्णतः त्रुटिपूर्ण आदेश है जबकि इस आदेश में अंकित है

सेविका अपना स्पष्टीकरण 15.09.2012 को रखे तो किस प्रकार बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए, अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही 11.09.2012 के प्रभाव से चयन मुक्त आदेश दिया गया जो खंडित करने योग्य है इसके साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के आदेश 1619–1 दिनांक 29.09.2012 भी खंडित करने योग्य है। यहाँ विभागीय मार्गदर्शिका 1998 दिनांक 12.06.2012 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त मार्गदर्शिका में स्पष्ट उल्लेखित है कि

(1) सेविका को सुनवाई का मौका दिया जायेगा
(2) सेविका के पक्ष को सुना जायेग
(3) जाँच प्रतिवेदनों एवं इसके साथ एकत्रित किए गए साक्ष्यों को रखा जायेगा।
(4) तत्पश्चात् सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर समझ का अनुप्रयोग करते हुए नियमानुसार यथोचित मुखर आदेश पारित किया जायेगा।

यहाँ तो विभागीय मार्गदर्शिका का पालन ही नहीं हुआ, कुछ सिर–फिरे ग्रामीणों के बहकावे में आकर निर्णय ले लिया गया इतने कड़े दंड चयन मुक्ति आदेश का जो त्रुटिपूर्ण आदेश है।

यह बात सही है कि दिनांक 09.09.2012 से लेकर 13.09.2012 तक राजकीय पल्स पोलियो कार्यकम निर्धारित था लाभुक बच्चों को पल्स पोलियों ड्रॉप भी दिया जाना भी उतना ही आवश्यक है जितना पूरक पोषाहार देना, तो लाभुक वर्ग के बीच इसकी जाँच कर लेनी चाहिए कि आकोश लोगों के बीच किन–किन बातो को लेकर है कुछ सिर–फिरे लोग या असमाजिक तत्व के बहकावे में आकर जल्दीबाजी में लिया निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अपीलार्थी सेविका को ग्रामीणों के कुछ सिर–फिरे /असमाजिक लोगो के बहकावे में आकर इतने कड़े दंड चयन मुक्ति आदेश का देना सही प्रतीत नहीं होता है, त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

सेविका अगर सही ढ़ंग सुचारूरूपेण से कार्य नहीं करती है तो इसका पर्यवेक्षण विभागीय पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिका /सी0डी0पी0ओ0 को निरंतर सप्ताह में करना चाहिए जिससे उन्हें गलती करने का मौका न मिले वे अपने कार्यो में सुधार लाये। अतः यह न्यायालय सेविका को दो महीने का पूरक पोषाहार राशि जो 4790 रू0 प्रतिमाह है 4790X2= 9580 रू0 आर्थिक दंड देती है। आर्थिक दंड कोषागार में विभागीय शीर्ष में जमा किया जाना है। आर्थिक दंड इसलिए भी कि सेविका अपने कार्य में सुधार लायें लाभुकों के साथ समय–समय पर बैठकर उनकी समस्याओं से भी

	अवगत हों एवं जहाँ तक हो निर्धारित सरकारी पहल पर निष्पादन कराने की कोशिश करें। जिससे लाभुको के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं में सीधा लाभ मिल सके। आदेश निर्गत तिथि से सेविका को अपने पद पर चयन बरकरार रखती है। वाद की समाप्ति की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 21.4.2015. उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा 21.4.2015. उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा	